

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 909] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2018/अग्रहायण 28, 1940 No. 909] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2018/AGRAHAYANA 28, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1221 (अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) तथा (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार **हरियाणा** सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, 2018 कहा जाएगा।
 - (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में **"हरियाणा"** शीर्षक के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"हरियाणा

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	117
सरकार के मुख्य सचिव	1
अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त	1
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	1
वित्तीय आयुक्त / प्रधान सचिव	12
मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव	1
सरकार के सचिव	9

7441 GI/2018 (1)

राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
महानिदेशक, राज्य परिवहन	1
मण्डलायुक्त	6
परिवहन आयुक्त	1
उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त	1
हरियाणा के स्थानिक आयुक्त	1
महानिदेशक, कृषि	1
महानिदेशक, शहरी एवं ग्रामीण नियोजन-सह-शहरी संपदा एवं कॉलोनीकरण	1
महानिदेशक, उच्च शिक्षा	1
महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा	1
महानिदेशक, उद्योग और वाणिज्य	1
आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	1
श्रम आयुक्त	1
महानिदेशक/आयुक्त	1
महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क, सांस्कृतिक मामले, भाषाएं और शिकायतें	1
महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	1
मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव	1
	I
विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य अधिकारी	16
निदेशक/परियोजना निदेशक	1
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	1
निदेशक, खाद्य और आपूर्ति	1
निदेशक, खेल और युवा मामले	1
निदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण	1
निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1
निदेशक, आतिथ्य और पर्यटन	1
निदेशक, समेकन, भूमि अभिलेख और विशेष समाहर्ता	1
निदेशक, विकास और पंचायत	1
निदेशक, ग्रामीण विकास	1
निदेशक, आपूर्ति और निपटान	1
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण	1
निदेशक, पर्यावरण	1
निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	1
निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	1
मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव	1
अतिरिक्त स्थानिक आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली	1
अपर श्रम आयुक्त	1
अपर निदेशक	1
सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग	1
सचिव, हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड, भिवानी	1
 1 Same and Commence and the same and the sam	

	उपायुक्त	22
	अपर उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/अतिरिक्त समाहर्ता	7
	अपर उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त	1
1	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	117
2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं	46
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	29
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	04
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	19
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं	65
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5+6)	150
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	215"

[फा. सं.11031/08/2015-अ.भा.से.-II(क)]

ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव

- **टिप्पणी (1)**: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व हरियाणा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 205 थी।
- टिप्पणी (2): प्रधान विनियम दिनांक 22-10-1955 की का.नि.आ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा संवर्ग के संबंध में ये निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए थे:—

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1	1089	6.10.1973	14	45(अ)	1.2.1990
2	980	14.9.1974	15	479	31.10.1992
3	471(अ)	29.8.1975	16	98	20.2.1993
4	782(अ)	31.8.1976	17	280	5.6.1993
5	126	29.1.1977	18	656(अ)	15.10.1993
6	1125	16.1978	19	319(अ)	31.3.1995
7	1277	28.10.1978	20	444(अ)	27.9.1996
8	160	3.2.1979	21	739(अ)	31.12.1997
9	700(अ)	17.12.1980	22	311	03.09.2003
10	614	4.7.1981	23	229(अ)	27.03.2008
11	931	10.12.1983	24	188(अ)	24.03.2009
12	190	26.3.1988	25	541(अ)	21.07.2009
13	310	6.5.1989	26	835(अ)	13.10.2010

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2018

- **G.S.R. 1221(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Haryana**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—
- 1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading "Haryana" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

"Haryana

Senior Duty Posts under the State Government	117
Chief Secretary to the Government	1
Additional Chief Secretary-cum-Financial Commissioner	1
Principal Secretary to the Chief Minister	1
Financial Commissioner/Principal Secretary	12
Special Principal Secretary to Chief Minister	1
Secretary to Government	9
Secretary to Governor	1
Chief Electoral Officer	1
Registrar, Cooperative Societies	1
Director General, State Transport	1
Commissioners of Divisions	6
Transport Commissioner	1
Excise and Taxation Commissioner	1
Resident Commissioner, Haryana	1
Director General, Agriculture	1
Director General, Town & Country Planning -cum-Urban Estate and Colonization	1
Director General, Higher Education	1
Director General, Technical Education	1
Director General, Industries & Commerce	1
Commissioner, Food and Drugs Administration	1
Labour Commissioner	1
Director General/Commissioner	1
Director General, Information, Public Relations, Cultural Affairs, Languages and Grievances	1
Director General, Urban Local Bodies	1

	Additional Principal Secretary to Chief Minister	1
	Traditional Timespar Secretary to Cinci Minister	•
	Spl. Secy/Addl.Secy./Jt. Secy/ Officer on Special Duty	16
	Director/Project Director	1
	Director, Secondary Education	1
	Director, Elementary Education	1
	Director, Food & Supplies	1
	Director, Sports & Youth Affairs	1
	Director, Social Justice & Empowerment	1
	Director, Women & Child Development	1
	Director, Hospitality & Tourism	1
	Director, Consolidation, Land Records & Special Collector	1
	Director, Development & Panchayat	1
	Director, Rural Development	1
	Director, Supplies & Disposals	1
	Director, Industrial Training	1
	Director, Environment	1
	Director, Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes	1
	Director, Medical Education & Research	1
	Deputy Principal Secretary to Chief Minister	1
	Additional Resident Commissioner, Haryana Bhawan, New Delhi	1
	Additional Labour Commissioner	1
	Additional Director	1
	Secretary, Haryana Public Service Commission	1
	Secretary, Haryana Board of School Education, Bhiwani	1
	Deputy Commissioner	22
	Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, District Rural Development Agency/Additional Collector	7
	Additional Excise and Taxation Commissioner	1
1	Total Senior Duty Posts	117
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	46
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	29
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	04
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	19
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	65
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	150
	Total Authorised Strength	215"

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Haryana IAS Cadre was 205.

Note 2: The principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* S.R.O. No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Haryana Cadre of Indian Administrative Service *vide* following G.S.R. numbers and dates:—

S.No.	G.S.R. Nos.	DATE	S.No.	G.S.R. Nos.	DATE
1	1089	6.10.1973	14	45(E)	1.2.1990
2	980	14.9.1974	15	479	31.10.1992
3	471(E)	29.8.1975	16	98	20.2.1993
4	782(E)	31.8.1976	17	280	5.6.1993
5	126	29.1.1977	18	656(E)	15.10.1993
6	1125	16.1978	19	319(E)	31.3.1995
7	1277	28.10.1978	20	444(E)	27.9.1996
8	160	3.2.1979	21	739(E)	31.12.1997
9	700(E)	17.12.1980	22	311	03.09.2003
10	614	4.7.1981	23	229(E)	27.03.2008
11	931	10.12.1983	24	188(E)	24.03.2009
12	190	26.3.1988	25	541(E)	21.07.2009
13	310	6.5.1989	26	835(E)	13.10.2010